उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लातेहार

(डी0एम0एफ0टी0 कोषांग)

अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) हेतु सूचना।

DMFT (District Mineral Foundation Trust) लातेहार अन्तर्गत प्राप्त राशि के विरूद्ध प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के तहत् वित्तीय वर्ष 2020–21 अन्तर्गत आय–व्यय की राशि का अंकेक्षण कार्य करने हेतु Empanelled C.A. Firm से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। DMFT लातेहार के लिये अंकेक्षण कार्य करने हेतु इच्छुक अंकेक्षकों के द्वारा Expression of Interest (EOI) के तहत् दिनांक– 24.09.2021 तक समर्पित किया जा सकता है –

14	प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने वाले प्राधिकार का नाम	:–	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, लातेहार।
02	प्रस्ताव समर्पित करने का स्थान	:–	उप विकास आयुक्त, लातेहार का कार्यालय (डी0एम0एफ0टी0 कोषांग)
03	प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	:–	24.09.2021, 03:00 PM
04	प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	:–	24.09.2021, 04:00 PM
05	प्रस्ताव खोलने का स्थान	:–	समाहरणालय सभागार, लातेहार।

इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तो का अवलोकन https:\\latehar.nic.in पर किया जा सकता है।

आवश्यक शर्त एवं अर्हताएँ निम्नवत् हैं :–

1. इच्छुक C.A. (Chartered Accountant) Firm, को CAG से Empanelled होना चाहिए।
2. इच्छुक C.A. Firm को अपने प्रस्ताव के साथ पूर्व का कार्य अनुभव, Empanelled से संबंधित कागजात, PAN कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं Firm का पूरा पता, विगत तीन वर्षो यथा वितीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 का ITR एवं GST Registration Number की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। सरकारी विभाग एवं उपक्रमों में कार्य कर चुके Firm को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
3. प्रस्तावक को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से मो0 5000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव, DMFT के पदनाम से लातेहार में भुगतेय देना होगा जो Refundable होगा।
4. अंकेक्षण कार्य कार्यादेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर कार्य पूरा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना होगा, इसके पश्चात् प्रस्तुत विपत्र के आधार पर अंकेक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
5. अंकेक्षण कार्य हेतु शुल्क का भुगतान ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित दर (विभागीय पत्रांक– 2642/(ग्रा0वि0,वि0) दिनांक– 26.02.2018 द्वारा निर्धारित दर) के अन्तर्गत किया जाएगा।
6. चयनित अंकेक्षक को DMFT अन्तर्गत जिला स्तर एवं विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों यथा :– पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक प्रमण्डल, मेदिनीनगर/विद्युत अपर प्रमण्डल, लातेहार।/भवन प्रमण्डल, लातेहार/समाज कल्याण, लातेहार/सिविल सर्जन, लातेहार/जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार/JSLPS, लातेहार/प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि जिनके द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, के कार्यालयों में अंकेक्षण कार्य करना होगा।

7. वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि का अंकेक्षण कार्य किया जाना है। विगत वित्तीय पांच वर्षो में DMFT/ग्रामीण विकास विभाग/DRDA का अंकेक्षण कार्य करने वाले **Empanelled Firm** को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. अंकेक्षक को **Empanelled** हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं DMFT प्रबंधकीय समिति, लातेहार द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निदेशों/मापदण्डों का अनुपालन कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अंकेक्षण कार्य पूरा करना होगा।
9. अंकेक्षक को अपना प्रस्ताव उप विकास आयुक्त–सह–सचिव, DMFT लातेहार को सम्बोंधित करते हुए एक अग्रसारण पत्र (Covering Letter) जिसमें उक्त कार्य करने की सहमति एवं संलग्न किये जाने वाले सभी कागजातों का Index के साथ समर्पित करना होगा।
10. इच्छुक C.A. Firm अपना प्रस्ताव, दिनांक 24-9-21 के अपराह्न 3 pm बजे तक हाथो–हाथ अथवा निबंधित डाक के द्वारा निम्न पते पर जमा कर सकते है–

Deputy Development Commissioner, Latehar
DRDA, Latehar 829206

11. सुयोग्य अंकेक्षक का चयन आवेदक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं EOI के शर्तों के अनुसार चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
12. अंकेक्षक के चयन हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, लातेहार का निर्णय अन्तिम होगा।
13. इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के शर्तों में परिवर्तन एवं इसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

ह0/–

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
लातेहार।

ज्ञापांक 1234 / DMFT दिनांक 09.09.21

प्रतिलिपि जन सम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि राज्य स्तर के सभी अखबारों में EOI /निविदा प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि जिले के वेवसाईड http://Latehar.nic.in पर EOI / निविदा अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव DMFT Latehar को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव खान एवं भू–तत्व विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
लातेहार।